ग्वालियर | मंगलवार | 21 जुलाई 2026 | वर्ष 31 | अंक 336 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 संसद चलो मार्च में बवाल

4 सारी दुनिया में व्याप्त है रिश्वतखोरी

9 भारत बनाएगा कपास में नई पहचान

10 सिंधु की नजर अब चाइना ओपन खिताब पर

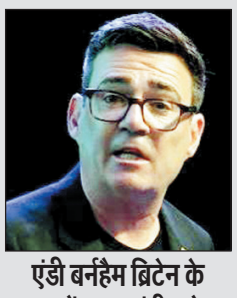

एक नजर में

एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बने

लंदन. लेबर पार्टी के सांसद एंडी बर्नहैम सोमवार को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बन गए हैं. बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय के साथ एक निजी मुलाकात के दौरान उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया गया. इससे पहले सर कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा सम्राट को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. बकिंघम पैलेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, सर कीर स्टार्मर ने आज सुबह सम्राट से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे महामहिम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया. श्री बर्नहैम की नियुक्ति उन्हें पिछले एक दशक में ब्रिटेन का सातवां प्रधानमंत्री बनाती है, जो देश की संसदीय प्रणाली में नेतृत्व परिवर्तन की तेजी को दर्शाती है.

ट्रक-कार टक्कर में 6 लोगों की मौत

वर्धा (महाराष्ट्र). महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक कंटेनर ट्रक और कार की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना विरुल गांव के इंटरचेंज आईसी-80 के पास हुई, जहां टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस के अनुसार, एथेनॉल लेकर जा रहा एक कंटेनर ट्रक एक्सप्रेसवे पर पलट गया था. इसी दौरान सड़क पर रुकी एक कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी.टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई।हादसे में कार में सवार चार लोगों और ट्रक चालक सहित ट्रक में मौजूद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

सदन में यूसीसी विधेयक

विपक्ष ने विधेयकों को सदन में पेश करने पर जताई आपत्ति

- अध्यक्ष ने कहा, वर्षों से पूरक कार्यसूची आती रही है
- यूसीसी सहित 14 विधेयक एक साथ पेश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 20 जुलाई. मप्र विधानसभा में सोमवार को मप्र समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश कर कर दिया गया. विधेयक पर मंगलवार को सदन में चर्चा में होगी. एक दिन पहले ही यूसीसी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी. मंगलवार को सदन में यह विधेयक पारित होने की संभावना है. इससे पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यूसीसी सहित कुल 14 विधेयकों को मुख्य कार्यसूची में शामिल किए बगैर ही सदन में पेश करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की.

विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य बाला बच्चन ने सवाल उठाया कि जब विधेयकों को सदन में आज पेश करना ही था तो फिर इसे कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया. उन्होंने इसे चोरी-छिपे सदन में पेश करने का आरोप लगाया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरक कार्यसूची में इसे शामिल किया गया है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस पर सहमति बन गई थी.

उन्होंने ये भी कहा कि वर्षों से पूरक कार्यसूची आती रही है. सदन की कार्यसूची में शामिल विषयों को एक के बाद एक पूरा कराते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की दो समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव पेश करवाया. उसके बाद भोजन अवकाश से पहले ही नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा होनी थी.

राज्यपाल की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून

इस विधेयक को सदन में पारित कराने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा, राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी, अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में यूसीसी विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा और फिर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून प्रभावी हो जाएगा. जिसमें सभी धर्म के लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे.

अवैध संबंध रखने पर तलाक दे सकेगी महिला

इधर मुस्लिमों के लिए भी एक जैसे नियम बाध्यकारी होंगे. बहुविवाह-तीन तलाक पर पूर्ण रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही जीवित जीवनसाथी के साथ शादीशुदा रह सकता है. विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है. अवैध संबंध रखने पर पत्नी पति को तलाक भी दे सकेगी.

निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त

भोपाल, 20 जुलाई. प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के लिए, गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने स्पष्ट किया है कि निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत नए लाइसेंस के आवेदनों का निराकरण 60 दिनों तथा नवीनीकरण के आवेदनों का 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन 2026!

दोनों सदनों में होता रहा हंगामा

मानसून सत्र का पहला दिन : राज्यसभा की कार्यवाही हुई स्थगित

नई दिल्ली, 20 जुलाई. सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था. पहले ही दिन संसद में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिली. संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा होता और कार्यवाही स्थगित होती रही. कुल 6 बार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. इसके बावजूद भी हंगामे की स्थिति बनी रही और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.

सोमवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक मामले का विषय उठाया. खड़गे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है. खड़गे ने पेपर लीक और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर अपनी बात रखी. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 12 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने पर हंगामा भी शुरू हो गया. विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे और अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए. इस पर राज्यसभा की कार्यवाही साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. हालांकि साढ़े बारह बजे भी यही स्थिति बनी रही. इस पर सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजकर 50 मिनट और फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दोपहर 2 बजे भी सदन में यही हुआ और कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक स्थगित कर दी गई. 2 बजकर 30 मिनट पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दिया गया. विपक्ष के लगातार विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई. अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसी बीच लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने संबंधी 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया. वहीं राज्यसभा में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान के समान सम्मान देने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सका.

दिनदहाड़े गोली मारकर वकील की हत्या

- रिश्तेदारों सहित भाई-भतीजे पर लगा आरोप
- भितरवार नगर में जमीन विवाद का मामला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 20 जुलाई. जिले के भितरवार नगर में जमीन के विवाद में दिनदहाड़े वकील रतन सिंह यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी गर्दन और छाती में तीन गोलियां मारीं. गंभीर हालत में उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

हत्या का आरोप चचेरे भाई, भतीजे समेत तीन रिश्तेदारों पर लगा है। सभी आरोपी फरार हो गए हैं।

परिजनों के मुताबिक, भितरवार में हरसी रोड स्थित करीब डेढ़ बीघा विवादित जमीन को लेकर रतन सिंह यादव का अपने रिश्तेदारों से कोर्ट में मामला चल रहा था। वे जमीन पर पहुंचे थे. इसी दौरान विवाद बढ़ा और आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हत्या का आरोप चचेरे भाई राकेश यादव, भतीजे राहुल यादव और गब्बर सिंह रावत पर लगा है।

पुलिस का कहना है...

भितरवार एसडीओपी गगन हनवत ने बताया कि सूचना मिली थी कि भितरवार-डबरा रोड स्थित आशा भोजनालय के पास वकील रतन यादव पर तीन युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. हमले में उन्हें कमर के दाहिने हिस्से, गर्दन के नीचे और शरीर के एक अन्य हिस्से में गोली लगी. शुरुआती जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश या जमीन से जुड़े विवाद की आशंका सामने आई है।

केंद्रीय परियोजनाओं की पैमाना पोर्टल से हो रही निगरानी

नई दिल्ली, 20 जुलाई। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली जारी केंद्रीय ढांचागत परियोजनाओं की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसके लिए 'पैमाना' नामक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं में देरी और लागत वृद्धि को रोकना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

शांत चित्त और मजबूत तर्क ही लोकतंत्र की ताकत : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 20 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान और व्यवधान के लिए कोई स्थान नहीं होता. उन्होंने कहा कि यदि पक्ष के पास मजबूत तथ्य और ठोस तर्क हों, तो शांत और संयमित तरीके से भी अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी जा सकती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब देश विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है. ऐसे में संसद की सकारात्मक और रचनात्मक भावना इस गति को नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसद का सकारात्मक, सार्थक और जनहितकारी वातावरण अत्यंत आवश्यक है. आज समय की मांग है कि राष्ट्रनिष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए उठ रही आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे. ये आवाज को बुलंद करें और देश को दिशा दे.

शाह और प्रधान के बीच हुई मैराथन बैठक

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 20 जुलाई. संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों और संसद के गलियारों में जो राजनीतिक व आंदोलन के तौर पर अभूतपूर्व उथल-पुथल दिखी, प्रदर्शनकारी छात्र और विपक्षी दल द्वारा लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच संसद भवन परिसर में लगभग चार घंटे की मैराथन बैठक हुई.

सूत्रों कि माने तो इस बैठक के पीछे सिर्फ कानून-व्यवस्था का संकट नहीं, बल्कि संसद के अंदर विपक्षी दलों द्वारा शिक्षा मंत्री के खिलाफ बनाई गई रणनीति और सड़क पर जारी आंदोलन के कारण सरकार की साख पर उठते सवालों का तथ्यात्मक और तर्कसंगत जवाब ढूंढने की कवायद हो सकती है. हालांकि कुछ लोग इस बैठक को धर्मेंद्र प्रधान की संभावित इस्तीफे से जोड़कर देख रहे हैं.

लेकिन इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में मौजूदा सरकार की जो रणनीति रही है उसके मुताबिक यह कहा जा सकता है कि सरकार किसी भी आंदोलन के सीधे दबाव में आकर तुरंत शीर्ष मंत्रियों का इस्तीफा लेने से बचती रही है, क्योंकि इसे सरकार की कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है. इसलिए इस्तीफे की बात को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा है. हालांकि कुछ वरिष्ठ भाजपाई नेता मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी भी परिस्थिति में सरकार की साख पर सवाल खड़े होने वाले कारक को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे में कुछ भी संभव है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अटकलबाजी तेज

सीजेपी संस्थापक दीपके ने अनशन तोड़ा

नई दिल्ली, 20 जुलाई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। अभिजित दीपके ने संसद चलो प्रदर्शन के बीच पार्टी ने अपना अनशन तोड़ा।

सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं -पहली सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तीसरी - नीट-यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. श्री

दीपके के साथ अनशन कर रहे तीन अन्य छात्रों ने भी 23 दिन के अपने अनशन को तोड़ दिया है।

पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी

नई दिल्ली, 20 जुलाई. भारत ने डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की इस वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति दी है.

यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है. इसकी खास बात यह है कि इसे लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुआ है या नहीं. यानी पहले डेंगू हो चुका हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में पात्र लोग यह वैक्सीन लगवा सकते हैं. कंपनी के अनुसार, क्यूडेंगा को वर्ष 2022 से अब तक 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी हैं.

भारत में 4 से 60 साल तक के लोगों को लगेगी वैक्सीन

हक की बात

दिल्ली और जंतर-मंतर का नजारा किसी अभेद्य किले जैसा था

लोकतंत्र की चौखट पर युवा आक्रोश का स्वत : स्फूर्त शंखनाद

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 20 जुलाई. लोकतंत्र की चौखट पर युवा आक्रोश का स्वतःस्फूर्त शंखनाद के अभूतपूर्व दृश्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिना किसी स्थापित राजनीतिक दल के अगुवाई के बगैर भी देश का युवा न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की अंतरात्मा को झकझोर सकता है बल्कि अपने भविष्य की चुनौतियों के लिए अहिंसक आंदोलन कर लाठी डंडों की पुलिसिया कार्रवाई के सामने डटे रहकर हक की बात भी कर सकता है.

दिल्ली की सड़कों पर मानसून सत्र के पहले ही दिन जो अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दिया उसने सड़क से संसद तक झकझोर कर रख दिया. संसद के बाहर लुटियंस दिल्ली और जंतर-मंतर का नजारा किसी अभेद्य किले जैसा था. दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने, कटीले तारों के बैरिकेड्स खड़े करने, आसपास के मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाएं तक निलंबित करने के बावजूद छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ. जहां एक तरफ रिमझिम बारिश के बीच जब चलो संसद के आह्वान के साथ जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ा, युवाओं का यह रेला व्यवस्था के अवरोधों को चुनौती देता नजर आया वहीं दूसरी ओर सड़कों पर मचे इस बवाल की तपिश संसद के दोनों सदनों के भीतर साफ महसूस की गई. मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी सांसदों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी हंगामा किया. जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. हालांकि जब सरकार ने देखा कि जनसैलाब को रोकना मुश्किल हो रहा है और सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं के अनशन तथा छात्रों के अड़िग रुख से माहौल बिगड़ रहा है, तो बैकचैनल बातचीत शुरू की गई.

> केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने खुद आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनसे शांति बहाल करने में सहयोग की अपील करते हुए लिखित मांग पत्र स्वीकार किया. इतना ही नहीं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने इस अभूतपूर्व छात्र एकता को देखकर कहा कि नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियों और लगातार रद्द होते इम्तिहानों से उपजा यह गुस्सा महज एक सामान्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली के खिलाफ युवाओं का एक सामूहिक और अप्रत्याशित सत्याग्रह बनकर उभरा है. इसलिए सरकार को यह समझना होगा कि युवा सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली की ठोस गारंटी चाहते हैं.

चढ़ावा चोरी : नई एसआईटी बनाएं : सुको

- पूरी निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के हो जांच
- 27 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 20 जुलाई. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जांच टीम का पुनर्गठन किया जाए और इसकी अगुवाई किसी वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि जांच निर्णायक स्तर तक पहुंच सके. सुनवाई के दौरान अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारी का नाम प्रस्तुत करें, जिसे जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सके. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जांच लंबित होने के कारण इस स्तर पर अधिक जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा.

> सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना आवश्यक है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अदालतें राजनीतिक बहस का मंच नहीं हैं. न्यायालय के अनुसार यह एक आपराधिक मामले की जांच है और उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच सही ढंग से आगे बढ़े.